संख्या-278/2016/1188/22-2-2016-17(302)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकरम खान पुत्र श्री युनुस खान, निवासी-जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22874/प्रो0-5-दया-अन्य-118/08.07.2016दिनांक 22.07.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अकरम खान पुत्र श्री युनुस खान, निवासी मोहल्ला-पठानपुरा, थाना-देवबन्द, जिला-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में दिनांक 30.09.1989 को अपने 11 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर पलकटी, देशी पिस्टल व बन्दूक से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/1990 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा दिनांक 11-08-1995 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 05 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो गयी है तथा 06 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2016 तक 07 वर्ष 05 माह 01 दिन की अपरिहार एवं 07 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अकरम खान (बन्दी संख्या-916/2014) पुत्र श्री युनुस खान, निवासी-जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-178/2016/1188/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in